न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(18)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी/2824/2018/रायसेन/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 20.02.2018 पारित द्वारा अपर आयक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 793/अपील/2015-16.

रमेश कुमार आ. श्री रामदत्त व्यस्क
निवासी ग्राम सुल्तानपुर, तहसील सुल्तानपुर
जिला रायसेन, म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

सुरेन्द्र कुमार आ. श्री रामदत्त व्यस्क
निवासी ग्राम सुल्तानपुर, तहसील सुल्तानपुर
जिला रायसेन, म.प्र.

.....अनावेदक

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/3/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 20.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सुल्तानपुर, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन की वादग्रस्त भूमि के संबंध में अनावेदक द्वारा तहसीलदार, सुल्तानपुर के समक्ष दिनांक 17.10.2014 को सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 30.05.2014 के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रकरण क्र. 3/अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2016 द्वारा स्वीकार किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज, जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि आदेश दिनांक

12.09.2016 से अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20.02.2018 को आदेश पारित कर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, किंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आवेदक अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्कों में मुख्य रूप से कहा गया कि-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.02.2018 एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2016, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2016 एवं न्याय व वास्तविक साक्ष्य के विपरीत होने व सीमांकन की प्रक्रिया के विपरीत होने से हस्तक्षेप कर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

(2) अधीनस्थ न्यायालय एवं विचारण न्यायालय ने संहिता की धारा 129 एवं 250 के प्रावधानों को समझने में गंभीर त्रुटि की है, साथ ही साक्ष्य का कोई निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने एस.डी.एम. द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.09.2016 में उल्लेखित कथनों, जिसमें नप्ती की शुरूआत बाबू प्रधान के खेत के कोने से होना बताया, जबकि उसके साक्षी आसिफ खां ने नप्ती बाबू प्रधान के खेत पर खत्म होना बताया है, जिससे सम्पूर्ण नप्ती की कार्यवाही अवैधानिक शंकास्प्रद होती है, साथ ही चतुर्थ सीमाओं का भी कोई उल्लेख न होने से 1.30 एकड़ का अतिक्रमण आवेदक द्वारा करने का कथन भी पूर्णतः हास्यास्पद एवं गलत सिद्ध होता है, के बावजूद भी अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारीने बिना स्वविवेक का उपयोग किये गलत रूप से विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 11.02.2016 की पुष्टि कर गंभीर अन्याय आवेदक के साथ किया है, जो निरस्ती योग्य है।

(4) विधि का सिद्धांत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए वरन् दिखना भी चाहिए, परंतु उपरोक्त प्रकरण में आवेदक के साथ न्याय होने संबंधी कोई भी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय प्रयोग में नहीं लाये,

जिसके कारण घोर अन्याय व विधि का दुरूपयोग हुआ है। इस कारण अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) अधीनस्थ प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हैं, जो पूर्णत: गलत है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तो अपने निष्कर्ष आवेदक के पक्ष में निकालने के बाद भी तकनीकी आधार पर अपील निरस्त की तथा पूर्व सीमांकन दिनांक 07.06.2010 के सीमांकन को नजर अंदाज कर एवं चतुर्थ सीमाओं को संज्ञान में न लेकर सीमांकन बिना चन्दामुंडी के निर्धारण बगैर मनमाने सीमांकन को मात्र निगरानी न करने के आधार पर सही ठहराकर अन्याय किया है, जिसे द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने यथावत् रख अपने विवेक एवं अपीलीय अधिकारों का उपयोग न कर अपील निरस्त कर आवेदक के साथ अन्याय किया है।

(6) विचारण तहसील न्यायालय द्वारा भी बिना चांदा मुण्डी के स्पष्ट निर्धारण बगैर एवं बिना चतुर्थ सीमाओं को ध्यान में रखे बगैर आवेदक के द्वारा 1.30 एकड़ कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करने तथा अनावेदक सुरेन्द्र कुमार के द्वारा सीमांकन के अप्रैल 2014 के सीमांकन के तीन साल पूर्व तार फेसिंग करने, जिसकी पुष्टि उसके साक्षियों द्वारा की गई, के बावजूद भी तथा वास्तविक मेड़ एवं पानी के बहने की बरहा जो पिछले 20-25 सालों से यथावत् उपलब्ध है, को नजर अंदाज कर दिया गया। त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 11.02.2016 हास्यास्प्रद होकर निरस्ती योग्य है।

(7) अनावेदक ने अपने सगे भाई अमरदास को पार्टी बनाये बगैर ही उसके विरूद्ध 0.90 हैक्टेयर कृषि भूमि पर अवैधानिक कब्जा निकलने पर भी उसे पक्षकार न बनाये जाने पर एवं न ही उसके साक्ष्य कृषि भूमि सुरेन्द्र कुमार को लौटाने के संबंध में रिकॉर्ड पर न होने पर समस्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 0.90 हैक्टेयर कृषि भूमि वापिस करने को सही मानकर गलत निर्णय अनावेदक के पक्ष में लिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(8) अधीनस्थ न्यायालय में यह अनावेदक ने कृषि भूमि को क्रय करना बताया है, जिसकी पुष्टि बावत् न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, स्वत्व: का महत्वपूर्ण प्रश्न का सही निराकरण हुए बगैर ही गलत व शंकास्पद सीमांकन पर आवेदक की महत्वपूर्ण कृषि भूमि को हथियाना के कुटील प्रयास का अनुमोदन कर आवेदक के साथ अन्याय किया एवं पक्षपात किया है।

(9) अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन समयावधि बाहर होने पर भी लिमिटेशन का कोई प्रश्न निर्धारण न कर पक्षपात निर्णय किया। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर संहिता की धारा 250 का गलत उपयोग कर पक्षपातपूर्ण निर्णय अनावेदक के पक्ष में लिया है, जो प्रत्यक्ष समयावधि नियम से बाधित है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक के वैधानिक आधार की कंडिका-10 अस्वीकार है। वास्तव में तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्वयं सिद्ध है कि अनावेदक ने अपने स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि ख.क्र. 308/2/1 एवं ख.क्र. 309/1 का विधिवत सीमांकन कराया था। सुरेन्द्र कुमार द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत सीमांकन के अभिलेख से स्पष्ट है कि रमेश कुमार को सीमांकन की विधिवत सूचना दी गई थी, रमेश कुमार सीमांकन के समय मौके पर उपस्थित भी रहा था, परंतु पंचनामा बनाते समय हस्ताक्षर नहीं किये थे। तहसील न्यायालय में अनावेदक ने अपने अितरिक्त स्वतंत्र साक्षी आसिफ खां, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी एवं चैनमेन के साक्ष्य कराये थे। इन सबके साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 29.05.2014 को विधिवत सीमांकन कर यह पंचनामा बनाया था कि ख. क्र. 308/2/1 में से 1.30 एकड़ पर रमेश कुमार का अवैध कब्जा था। तहसील न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड का परिशीलन कर यह विधिक एवं न्यायिक आदेश पारित किया है कि "अनावेदक रमेश कुमार द्वारा सीमांकन रिपोर्ट के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं किये जाने से आवेदक सुरेन्द्र कुमार की भूमि ख.क्र. 308/2/1 में से 1.30 एकड़ पर अवैध कब्जा सिद्ध होता है। आवेदक सुरेन्द्र कुमार साक्ष्य एवं सीमांकन प्रक्रिया को विधिमान्य सिद्ध करने में सफल रहा है। अत: अनावेदक रमेश कुमार अवैध कब्जा सिद्ध होने से उसे बेदखल किया जाता है और सुरेन्द्र कुमार को कब्जा वापिस दिलाने का आदेश किया जाता है।"

(2) आवेदक के वैधानिक आधार की कंडिका-11 अस्वीकार है। वास्तव में विचारण न्यायालय एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं न्यायालय अपर आयुक्त ने संहिता की धारा 129 एवं

250 के प्रावधानों के अनुसरण में ही आवेदक के विरूद्ध न्यायिक एवं वैधानिक आदेश पारित किये हैं।

(3) आवेदक के वैधानिक आधार की कंडिका-12 अस्वीकार है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी पक्षकार को सीमांकन आदेश पर आपत्ति है तो उसे सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को सीमांकन संबंधी सूचना दी गई थी। वह सीमांकन दिनांक 29.05.2014 को सीमांकन स्थल पर उपस्थित भी हुआ था। उसने तहसील न्यायालय में दिनांक 29.05.2014 को यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि "सीमांकन दिनांक 29.05.2014 दिन गुरूवार को कृषक सुरेन्द्र आ. रामदत्ता की कृषि भूमि के सीमांकन के समय उपस्थित होकर देखाकि उक्त सीमांकन आर.आई. एवं पटवारी द्वारा बिना आधार के किया जा रहा है। अत: प्रार्थी सीमांकन से असंतुष्ट है इसलिए अमान्य है, आपत्ति पत्र प्रस्तुत है।" इस आवेदन पत्र से स्वत: स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर सीमांकन किया गया था। इसकी जानकारी आवेदक को थी, परंतु उसके द्वारा तत्समय या आदिनांक तक सीमांकन दिनांक 29.05.2014 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की है। अत: संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन के विरूद्ध उसे आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

(4) आवेदक के वैधानिक आधार की कंडिका-13 अस्वीकार है। आवेदक ने तीनों अधीनस्थ न्यायालयों पर यह आरोप लगायाहै कि उनके द्वारा न्याय नहीं किया गया है। वास्तव में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकारों को सुनवाईका संपूर्ण अवसर देने के उपरांत एवं अभिलेखों का परिशीलन करने के उपरांत न्यायिक एवं वैधानिक आधार पारित किये हैं। अत: उन्हें यथावत् रखते हुए आवेदक की निगरानी निरस्त किया जाना न्यायहित में है।

(5) आवेदक के वैधानिक आधार की कंडिका-14 अस्वीकार है। आवेदक ने कथित पूर्व सीमांकन दिनांक 07.06.2010 से संबंधित कोई भी अभिलेख विचारण न्यायालय में एवं दोनों अपीलीय न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं किये हैं। अत: ऐसे अभिलेख का उल्लेख करने मात्र से उसे किसी भी न्यायालय से कोई राहत मिलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता हे। यह अस्वीकार है कि प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालयों ने साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकाले हैं। वास्तव में उनके द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरांत ही यह पाया है कि अनावेदक ने अपने भूमिस्वामी के स्वत्व की भूमि का

सीमांकन कराया था और आवेदक का मौके पर अवैध कब्जा निकला था। इस परिप्रेक्ष्य में दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश पूर्णत: न्यायिक एवं वैधानिक आदेश हैं।

(6) आवेदक के वैधानिक आधार की कंडिका-15 अस्वीकार है। आवेदक ने इस कंडिका में राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश पर आपत्ति दर्शायी है। उसके द्वारा सीमांकन आदेश के विरूद्ध कोई निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की थी। अत: उक्त सीमांकन आदेश अंतिम हो गया है और उस सीमांकन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेश एवं दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित अपीलीय आदेश पूर्णत: न्यायिक एवं वैधानिक आदेश हैं।

(7) आवेदक के वैधानिक आधार की कंडिका-16 अस्वीकार है। तहसील न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि सीमांकन में पक्षकारों के भाई अमरदास का 0.90 एकड़ पर कब्जा पाया गया था, परंतु उसके द्वारा कब्जा हटा लिया गया था। यह उल्लेखनीय है कि जब अमरदास ने अवैध कब्जा हटा लिया था, तो अनावेदक सुरेन्द्र कुमार उसके विरूद्ध तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण दायर क्यों करता ?

(8) आवेदक के वैधानिक आधार की कंडिका-17 अस्वीकार है। अनावेदक सुरेन्द्र कुमार वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित भूमिस्वामी है। इस संबंध में उसके द्वारा विचारण न्यायालय में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। विचारण न्यायालय में आवेदक ने इस बिंदु पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। अत: उसका यह कहना बेईमानी है कि सुरेन्द्र पाल ने प्रकरण में रजिस्टर्ड बैनामा पेश नहीं किया है। आवेदक की उसकी संतुष्टि के लिए अनावेदक द्वारा इस लिखित तर्क के साथ इस न्यायालय में रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 26 जून 1990 प्रस्तुत किया गया है, जिसके परिशीलन से स्वत: सिद्ध है कि सुरेन्द्र पाल ने श्री अमरदास से ग्राम सुल्तानपुर की भूमि ख. क्र. 308/2 रकबा 12.44 एकड़ में से 4.94 एकड़ भूमि क्रय कर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त कर लिया था।

(9) आवेदक के वैधानिक आधार की कंडिका-18 अस्वीकार है। यह अस्वीकार है कि सुरेन्द्र कुमार ने विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत समयावधि बाह्य आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय के अभिलेख से ही स्पष्ट है कि श्री सुरेन्द्र कुमार ने सीमांकन दिनांक 29.05.2014 के अनुसरण में दिनांक 12.01.2015 को समयसीमा के अंदर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

उक्त तर्कों के समर्थन में अनावेदक अभिभाषक द्वारा 2014 आर.एन. 227, 2015 आर.एन. 706 एवं 2005 आर.एन. 246 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। अत: उनके

द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की गई है । अत: सीमांकन कार्यवाही में अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाये जाने के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने के संबंध में जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा निरस्त कर, तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई हैं । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस संबंध में इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर